

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर दिनांक : 17/08/2016

क्रमांक : एफ 5-28/2016/18 ::- राज्य शासन एतद्वारा केन्द्र प्रवर्तित स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन हेतु क्रमशः रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नाम से, निम्नानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय क. 18 वर्ष 2013) की धारा 2(45) के अंतर्गत शासकीय कंपनी के रूप में विशेष प्रयोजन यान का गठन करता है :-

1) रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (RSCL) का संचालक मंडल निम्नानुसार होगा:-

क्र.	पदनाम	कंपनी के बोर्ड में पद
1	प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	अध्यक्ष
2	संचालक, नगरीय प्रशासन सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सूडा	उपाध्यक्ष
3	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. (CSPDCL)	संचालक
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS)	संचालक
5	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA)	संचालक
6	कलेक्टर, जिला रायपुर	संचालक
7	पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर	संचालक
8	आयुक्त, नगर पालिक निगम	प्रबंध संचालक, सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी
9	भारत सरकार/शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि	संचालक
10	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी सूची में से चयनित स्वतंत्र संचालक	स्वतंत्र संचालक

2) बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (BSCL) का संचालक मंडल निम्नानुसार होगा:-

क्र.	पदनाम	कंपनी के बोर्ड में पद
1	प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	अध्यक्ष
2	संचालक, नगरीय प्रशासन सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सूडा	उपाध्यक्ष
3	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. (CSPDCL)	संचालक
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS)	संचालक
5	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ASADA)	संचालक
6	कलेक्टर, जिला बिलासपुर	संचालक
7	पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर	संचालक
8	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर	प्रबंध संचालक, सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी
9	भारत सरकार/शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि	संचालक
10	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी सूची में से चयनित स्वतंत्र संचालक	स्वतंत्र संचालक

शर्त :-

- 1) स्मार्ट सिटी योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन वक्तव्य तथा मार्गदर्शिका के अनुसार किया जावेगा।
- 2) विशेष प्रयोजन यान के कार्यों की निगरानी हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रशासकीय विभाग होगा।
- 3) पर्याप्त पूंजी प्रवाह की व्यवस्था के लिए विशेष प्रयोजन यान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए स्वयं सक्षम होगा।
- 4) योजना लागत को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयोजन यान को अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था हेतु शासन द्वारा आवश्यकता होने पर शासकीय प्रतिभूति प्रदान की जावेगी।
- 5) कंपनी एक्ट के अंतर्गत एस.पी.व्ही. के पंजीयन का दायित्व संबंधित निगम के आयुक्त सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी का रहेगा।
उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


17/8/16
(जितेन्द्र शुक्ला)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्र. एफ 5-28/2016/18
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर दिनांक : 17/08/2016

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय छ.ग. शासन, मंत्रालय नया रायपुर।
 2. निज सचिव, मान. मंत्री जी, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
 3. संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नया रायपुर।
 4. अतिरिक्त सचिव, (स्मार्ट सिटी) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
 4. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 5. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
 6. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
 7. संभागायुक्त, संभाग रायपुर एवं बिलासपुर।
 8. कलेक्टर, जिला - रायपुर एवं बिलासपुर।
 9. अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर।
 10. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर/बिलासपुर।
 11. सर्व संबंधित अधिकारी
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. रिकार्ड फाईल।


17/8/16
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग